

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :- 01/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (आवंटन)-01/2021.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
पटना/सारण (छपरा)/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/गया/वैशाली (हाजीपुर)/
पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)/भोजपुर (आरा)/बक्सर/रोहतास/गोपालगंज/
समस्तीपुर/भागलपुर/कैमूर/औरंगाबाद/नवादा/मधुबनी/सिवान।

पटना, दिनांक :-

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 18 जिलो में ईकाई कोड- 52 01 विषय शीर्ष मशीने एवं उपस्कर मद एवं 26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन में राशि आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अन्तर्गत 18 जिलो में कार्यालय स्थापित करने हेतु आधारभूत आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था एवं सर्वे कार्यो के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत ईकाई कोड- 52 01 विषय शीर्ष मशीने एवं उपस्कर मद एवं 26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2021-22 में तत्काल कुल राशि - 72,00,000/- (बहत्तर लाख) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	मशीने एवं उपस्कर मद (52 01)	विज्ञापन एवं प्रकाशन (26 01)	कुल योग (3+4)
1	2	3	4	5
1	पटना	300000	100000	400000
2	सारण (छपरा)	300000	100000	400000
3	मुजफ्फरपुर	300000	100000	400000
4	दरभंगा	300000	100000	400000
5	गया	300000	100000	400000
6	वैशाली (हाजीपुर)	300000	100000	400000
7	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	300000	100000	400000
8	भोजपुर (आरा)	300000	100000	400000
9	बक्सर	300000	100000	400000
10	रोहतास	300000	100000	400000

क्र०सं०	जिला का नाम	मशीने एवं उपस्कर मद (52 01)	विज्ञापन एवं प्रकाशन (26 01)	कुल योग (3+4)
1	2	3	4	5
11	गोपालगंज	300000	100000	400000
12	समस्तीपुर	300000	100000	400000
13	भागलपुर	300000	100000	400000
14	कैमूर	300000	100000	400000
15	औरंगाबाद	300000	100000	400000
16	नवादा	300000	100000	400000
17	मधुबनी	300000	100000	400000
18	सिवान	300000	100000	400000
कुल योग :-		5400000	1800000	7200000
(बहत्तर लाख रूपये मात्र)				

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 02 (10) दिनांक 11.10.2021 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- राज्यादेश के आलोक में शेष राशि पुनः आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त जिलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

I/14873/2021

11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन
Signed by Jai Singh
Date: 22-12-2021 06:48:32
Reason: Approved

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना,
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा),
3. संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी,
4. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।